



पुलिस विभाग में महिला पुलिस की परिस्थितियों का आलोचनात्मक अध्ययन:2019 से 2024

अन्नप्रिया

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.18713874>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 28-01-2026

Published: 10-02-2026

Keywords:

पुलिस विभाग, महिला पुलिस की परिस्थितियाँ, महिला पुलिस एवम् यौन उत्पीडन, दोहरा मानसिक दबाव।

ABSTRACT

वैदिक काल में महिलाओं का अपना एक गौरवान्वित इतिहास रहा है, जिसमें महिलाएँ सशस्त कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करती, आवश्यकता पडने पर युद्ध में भी भाग लेती थीं। काल, परिस्थितियों, विदेशी आक्रमणकारियों ने महिलाओं के अस्तित्व को दबाव कर उन्हें चार दिवारी में रहने को मजबूर कर दिया। पुलिस विभाग को पुरुष प्रधान व्यवसाय माना गया। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की आवश्यकता के फलस्वरूप महिला भर्ती प्रारम्भ हुई, परन्तु आज भी जो सम्मान और दृष्टिकोण पुरुष पुलिस को प्राप्त है, वह महिला पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता के 79 वर्षों के पश्चात भी प्राप्त नहीं है। इस शोध में वर्तमान समय में महिला पुलिस की परिस्थितियों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाएगा, जिससे लम्बे समय के पश्चात वास्तविकताओं से रूबरू होगा। शोध के दौरान शोध पद्धति में प्राथमिक एवम् द्वितीय स्त्रोत पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। प्राथमिक स्त्रोत में 25 महिला एवम् पुरुष पुलिस कर्मियों का दूरभाष एवम् प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जाएगा। द्वितीय स्त्रोत में एम०एच०ए० (M.H.A.) की आधिकारिक वेबसाइट, बी०आर०बी०डी० की आधिकारिक वेबसाइट, ग्रह मंत्रालय वेबसाइट, पुलिस विभाग वेबसाइट पत्रिकाओं एवम् कुछ विद्वानों के लेखों द्वारा आँकड़ें एकत्रित किये जाएंगे। सामान्यतः यह

देखा जाता है कि आज महिला पुलिस की संख्या में वृद्धि हो रही, पर क्या वृद्धि उचित दर से सकारात्मक है। जितना सशक्त और सम्मान पुरुष पुलिस को प्राप्त है, क्या महिला पुलिस को भी प्राप्त है, किस प्रकार के दबाव का सामना नौकरी के दौरान उनको करना पड़ता है, इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन शोध में किया जाएगा। निष्कर्ष - जो सच्चाई दिखाई देती है, वास्तविकता उससे परे है।

प्रस्तावना:-

भारतीय महिला की वीरता एवम् शौर्य का इतिहास प्राचीन वैदिक सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक अद्भुत रहा। मध्य काल से औपनिवेशिक काल का समय महिलाओं के उत्पीड़न एवम् पतन का समय था। विदेशी आक्रमणकारियों ने महिला को घर की चार दिवारी जैसी बेडियाँ बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जन्म दिया। प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा के साथ - साथ सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। रामायण में कैकड़ ने राजा दशरथ की सारथी बन कर रण भूमि में भाग लिया था एवम् दो बार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिसके परिणामस्वरूप राजा दशरथ ने कैकड़ को दो वरदान दिये थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल में महिलाओं के विश कन्या होने के प्रमाण मिलते हैं, जो शत्रु राज्य के राजाओं को मारने में सहायक होती थी। गुप्तचर के रूप में भी नियुक्तियाँ की जाती थीं, राजा के अंगरक्षिका की भूमिका भी सेविकाओं द्वारा निभाई जाती थीं। रानियों के महल की रक्षा का कार्यभार भी सौंपा जाता है। आधुनिक युग में औपनिवेशिक काल के पुर्न जागरण काल में विदेशी आक्रमणों एवम् विदेशी शासकों के भारतीय शासन ने जो महिलाओं की स्थिति को, गरिमा को धूमिल किया था, उसको जागरित करने का कार्य किया। औपनिवेशिक शासन में महिलाओं की पुलिस में नियुक्ति अस्थाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की नियुक्ति को स्थाई किया गया। प्रारंभिक महिला पुलिस नियुक्ति संस्था में आज की संख्या तीन गुना है परन्तु पुरुषों के मुकाबले यह आधी संख्या भी नहीं है। पुलिस व्यवस्था को पुरुष के रूप में प्रारम्भ से देखा गया है, इसलिये महिला पुलिस को वो सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है एवम् बहुत बार महिला पुलिस कर्मियों का तिरस्कार किया जाता है।

इस शोध महिला पुलिस की परिस्थितियों, चुनौतियों का वास्तविक के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा।



शोध के प्रश्न:-

शोध के मुख्य प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1. “ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ”क्या महिला पुलिस को पुलिस व्यवस्था में सशक्तिकरण का कार्य करते हैं?
2. पुलिस विभाग में भर्ती महिलाओं की पसंद एवम् मजबूरी?
3. महिला पुलिस कर्मियों पर दोहरे मानसिक दबाव का अध्ययन?

शोध के उद्देश्य:-

इस शोध के अध्ययन में हम निम्न उद्देश्य के उत्तरों को खोजेंगे।

1. भारतीय राज्यों की महिला पुलिस की वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन।
2. भारत राज्यों के “ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ”का अध्ययन करना।
3. भारतीय समाज की महिला पुलिस को लेकर दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

समस्या का वर्णन:-

अध्ययन के दौरान समस्याएँ तो अनेकों पाई गईं परन्तु सबसे बड़ी समस्या जो पाई वो थी महिला होने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर मानना क्योंकि मानसिक कार्यों के जैसे शिक्षिका, डॉक्टर, नर्स, कॉउंसलर, डेस्क जॉब जैसे कार्यों के लिये ही उचित मानी जाती हैं। पुलिस कार्यों में हिंसक गतिविधियाँ, हमले, विरोध गतिविधियाँ, जुलूस जैसे अनेक खतरनाक गतिविधियों का सामना करना पड़ता और इन कार्यों के लिये शारीरिक मजबूती की अधिक आवश्यकता होती है। महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक रूप से कमजोर माना जाता है। इसलिये बचपन से उनको सिखाया जाता है कि आप शिक्षिका, डॉक्टर जैसे पेशे को चुनें और अपना करियर बनाइये। इस मानसिकता के कारण महिला भी स्वयं को शारीरिक रूप से अधिक बलशाली नहीं समझती और अन्य रोजगारों को अधिक वरीयता देती है। कुछ महिलाएँ जो अपने आप को शारीरिक / मानसिक रूप से मजबूत समझती हैं उनको पितृसत्तात्मक व्यवस्था, समाज की बेडियाँ, लिंग भेदभाव, कार्यस्थल पर पुरुष पुलिस सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त न होना, पुरुष पुलिस के साथ कार्य करने पर पुरुष पुलिस के अहम को ठेस पहुँचा, शादी के समय महिला पुलिस से शादी



करने को कम वरीयता देना आदि अनेक संघर्ष हैं, जिनका भारतीय महिलाओं द्वारा सामना किया जा रहा है। इस प्रकार महिलाएँ पुलिस में भर्ती अवश्य होती हैं परन्तु उनके दोहरी मान्यताओं मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। महिला पुलिस कर्मियों की इसी संघर्ष की कहानी पर हम शोध करेंगे।

साहित्यिक समीक्षा:-

महिला अपराध, महिलाओं द्वारा अपने अधिकार, कर्तव्यों न्याय की गुहार के लिये झूलुस एवम् प्रदर्शन करना, इन सब कारणों से महिला के मामलों से निपटारे के लिये महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता के मध्य नजर महिला पुलिस की नियुक्तियाँ की जाने लगी। बहुत सारे शोध कर्ताओं ने महिला पुलिस पर शोध किया।

- **मंगई नटराजन)2016**ने बदलते समाज में महिला पुलिस समानता का पिछला दरवाज़ा (नामक पुस्तक में तमिलनाडु में महिला पुलिस की समानता और किस प्रकार महिलाओं की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाये इस पर लिखी गयी थी। ,
- **संदीप सुखतंकरगैव , िएल कुक्स)** अक्षय मंगला ने ,विसनर -2022ने रितृसत्रा में पुलिस (व्यवस्था भारत में महिलाओं के प्रति पुलिस की जवाबदेही में सुधार हेतु सुधारों का एक प्रायोगिक मूल्यांकननामक रिपोर्ट में कहा कि लिंग आधारित हिंसा से छुटकारा पाने के लिये लिंग लक्षित - पुलिस सुधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि लिंग प्रतिनिधित्व के द्वारा ही पुलिस प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सकता है।
- **सुवर्णा जोशी)2015**ने भारत में पुलिस में महिलाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाला (भेदभावको अपने शोध का केन्द्र बनाया और बताया कि न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देश इसी समस्या से ग्रस्त हैं।
- **गुरप्रीत रंधावा) कोमल नारंग ,2013**पुलिस में महिलाएँ रोजगार की स्थिति और चुनौतियाँ नामक (शोधमें अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुये माना कि महिलाएँ राष्ट्र के स्वतंत्र विकास में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती हैं। महिलाओं को रोजगार उनको आर्थिक समृद्धि प्रदान करना है परन्तु कुछ चुनौतियों के साथ।
- **टुम्पा मुखर्जी)2018**?ने क्या पुलिस में महिलाएँ सशक्त हैं (



नामक अपने शोध में पुरुष एवम् महिलाओं के पुलिस कर्मियों के रूप में नियुक्ति पर सामाजिक दृष्टि को प्रस्तुत किया।

- निर्विकार जस्सकल)2020ने लिंग परिवर्तन और न्याय तक पहुँच भारत के सभी महिला पुलिस (स्टेशनों से साक्ष्य में अपने अध्ययन को मुख्य महिला पुलिस पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें पाया , कि महिला पुलिस स्टेशनों को सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। जस्सकल का मत है “ किवुमेन पुलिस ”की अवधारणा के परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे।
- पुनम कोशल) जय सिंह परमार ,2019 जीवन संतुलन और जनसांख्यिकी - मे अपने शोध कार्य (कारक से इसका संबंध हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मियों पर अध्ययन में पाया कि आयु एवम् लिंग जैसे कारक पुलिस कर्मियों के कार्य संतुलन के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं।
- बिन्सी राय) इंदिरा कृष्णा ,अनिल कुमार ,महेश कुमार ०के ,2016ने केरल में महिला पुलिस (कर्मियोंके बीच मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन में माना कि पुलिस विभाग सबसे (व्यवसाय) एक तरफ नौकरी ,तनावग्रस्त व्यवसाय है। पुलिस में महिलाओं को दोहरा तनाव झेलना पड रहा है तनाव और दूसरी तरफ निजी जीवन का तनाव।
- संताना खानिकर)2016ने दिल्ली शहर में महिला पुलिस लैंगिक पदा (नुक्रम“ ,छटा नारीत्व ”और उपरीति की राजनीति नामक लेख में अपना तर्क देते हुये बताया कि महिला एवम् पुरुष पुलिस कर्मी एक साथ प्रतिदिन कार्य करते हैं परन्तु उनके संबंध में लिंग आधारित न्याय व्यवस्था की तस्वीरें नजर नहीं आती हैं।
- अदनान जमील) अनवार मोहिउद्दीन ,2015ने महिला पुलिस के सामने आने वाली सामान्य (समस्याओंमें पाया कि मुख्यतः निम्न एवम् उच्च पदाधिकारियों द्वारा उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी देखा जाता है। इस तरह के भेदभावपरिवाहन पर नियंत्रण और स्वशासन ,असुविधाएँ , में अपर्याप्त शक्ति के मामले में दिखाई देते हैं।

प्रस्तावित शोध पद्धति:-

शोध में प्राथमिक एवम् द्वितीयक दोनों स्रोतों के द्वारा डेटा एकत्रित किया जाएगा, जिसमें प्राथिक स्रोत में प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवम् टेलीफोनिक साक्षात्कार के आधार पर आँकड़े एकत्रित किये जाएंगे। द्वितीयक स्रोतों में हम पुलिस संगठनों की सरकारी वेबसाइट एवम् सरकार के आँकड़ों का इस्तेमाल



शोध में किया जाएगा। पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यरो, गृह मंत्रालय से आँकड़े को एकत्रित किया जाएगा। विभिन्न पत्रिकाओं एवम् विद्वानों की पुस्तकों का भी अध्ययन करके आँकड़े को एकत्रित किया जाएगा परन्तु भौगोलिक बाँधाओं, सूचनाओं को छुपाना, जैसे अनेक बाँधाओं के मध्य नजर को भी ध्यान रखा जाएगा। आँकड़ों के एकत्रित के द्वारा होने वाली कठिनाइयाँ एवम् सीमाओं को ध्यान में रख कर अध्ययन किया जाएगा।

आँकड़ों का विश्लेषण और परिणाम:-

शोध में आँकड़ों का एक एकत्रितकरण 25 महिला पुलिस एवम् पुरुष पुलिस दोनों के साक्षात्कार के आधार पर एकत्रित किये गये। साथ ही विश्लेषणात्मक तुलना जो इस शोध का मुख्य केन्द्र बिन्दु है उसके आधार पर 2019 से 2024 तक बी०आर०बी०डी०, गृह मंत्रालय, सरकारी वेबसाइट से प्राप्त आँकड़े एवम् जानकारी के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती में कितनी बढ़ोतरी है, “ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन” कुछ विशेष राज्यों में स्पेशल महिला पुलिस युनिट की स्थापना जैसे सकारात्मक परिणाम भी हासिल हुये हैं।

- महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती संख्या का वर्णन टेबल में दर्शाया गया है। 1

विवरण	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022
महिला पुलिस कर्मियों की संख्याओं का प्रतिशत	8 .9%	10 .3%	10 .5%	11 .75% 12 लगभग) %)

टेबल 8 में जहाँ 2019 में दिये गये आँकड़े के आधार पर 1.9% कुल महिला पुलिस संख्या थी वहीं पर 2022(नवीनतम आँकड़े 1.1% 12 में कुल संख्या (तक 2023% हो गयी है। वृद्धि दर धीमी है परन्तु यह सकारात्मक बढ़ोतरी को प्रदर्शित करती है। की स्थाई समिति की सिफारिश के आधार पर 2009



33 महिलाओं का पुलिस में प्रतिनिधित्व% होना चाहिये। तुलना करे 33% प्रतिनिधित्व की आज की महिला पुलिस कुल संख्या से जो कि केवल 12% है उस तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। ,

“ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ”का बी०आर०बी०डी० की 1.1. की रिपोर्ट का 2023 की रिपोर्ट एवम् 2011 के माध्यम से किया गया है। 2 तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित टेबल

क्रम	राज्य केन्द्र	कुल / केन्द्र	कुल वुमेन पुलिस	राज्य /
वुमेन पुलिस संख्या	शासित प्रदेश	स्टेशन	की संख्या	शासित प्रदेश
स्टेशन की संख्या				
1	.1%	1		2011.1%
2023				
1.	22		442	36
	769			

टेबल “ में दिये गये 2ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ”की संस्थाओं का वर्णन तुलनात्मक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जिसका आधार बी०आर०बी०डी० की रिपोर्ट है। सन् 2011 में महिला पुलिस स्टेशन की संख्या 22 राज्य एवम् केन्द्र शासित प्रदेश के आधारराज्य एवम् केन्द्र 36 वहीं पर वर्तमान में ,थी 442 है। इन आँकड़ों के आधार पर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि महिला 769 शासित प्रदेश में यह संख्या पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि सकारात्मक ओर से हो रही है।

टेबल में महिलाओं की भर्ती संख्या का तुलनात्मक रूप दर्शाया। में जहाँ महिलाओं की संख्या 2019 8.9% थी वहीं आज 12 में 2022% है जो कि धीमी गति है। इसमें वृद्धि होनी चाहिये। टेबल में 2 “ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ”की संख्या 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 442 है और 2023 में यह 769 हो गयी। महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की दर सकारात्मक देखी गयी है।

महिला पुलिस कर्मी एवम् यौन उत्पीडन:-



सामान्य महिलाओं की तरह महिला पुलिस कर्मियों के उनके कार्य स्थल पर उत्पीडन के मामले सामने आये हैं। आर०टी०आई० से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला पुलिस कर्मी अपने विभाग कार्य स्थल पर अपने सहकर्मियों से ही यौन उत्पीडन का शिकार हुई हैं। यह सामान्य महिलाओं एवम् महिला पुलिस कर्मियों में दर्शाया गया है। 3 के यौन उत्पीडन को टेबल (दिल्ली)

क्रम संख्या	विवरण	यौन उत्पीडन के मामले		
		वर्ष वर्ष 2019	2018 वर्ष	2017
1	सामान्य महिलाएँ	2135 2168		2146
2	महिला पुलिस कर्मी	07 04		10

जहाँ स्वयं महिला पुलिस खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है वहाँ उनके कार्य करने में रुचि भी कम , ही होगी। इस कारण अधिकतर महिला पुलिस कुछ समय बाद नौकरी से इस्तीफा देने के विचारों से ग्रस्त हो जाते हैं।

पुरुष पुलिस कर्मियों के पूर्वाग्रह:-

अधिकांशत पुरुष पुलिस कर्मी महिलाओं को शारीरिक एवम् मानसिक रूप से कमजोर समझते हैं। ऐसा देखा गया है कि पुरुष पुलिस अपनी उच्च अधिकारी महिला पुलिस के आदेशों को सदभावना एवम् सही तरीके से अनुसरण करना सही नहीं समझते क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएँ निर्णय लेने एवम् चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है।

चुनौतियाँ एवम् बाँधारे:-

- रोजगार में चुनौतियाँ:-



अक्सर देखा जाता है महिला भर्तियाँ तो निकलती हैं परन्तु वे पूर्ण रूप से भर्तियाँ भरती नहीं हैबहुत , आँध प् ,असम ,राजस्थान ,रिक्तियाँ रह जाती हैं। विशेषकर हरियाणारदेश में रिक्तियाँ अधिक देखी गयी हैं। कारण है कि पुरुष पुलिस की मानसिकता एवम् कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियाँ। निजी जीवन एवम् पेशेवर जीवन में उचित संतुलन नहीं बन पाना भी एक मुख्य कारण है।

• **महिला पुलिस पर पडने वाले दबाव:-**

कार्य के दौरान महिला पुलिस कर्मियों को अनेक दबावों का सामना करना पड़ता है जो उनके कार्य - में किया गया है। 4 प्रणाली को प्रभावित करते हैं। उसका वर्णन निम्नलिखित टेबल

क्रम संख्या	महिला पुलिस कर्मियों पर पडने वाले शक्तियों के दबाव	महिला पुलिस कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
1.	राजनेता का दबाव	7	29.00
2.	पुलिस अधिकारियों का दबाव	11	52.50
3.		5	11.50
4.	पुरुष पुलिस कर्मियों का दबाव	2	7.00
	किसी का नहीं		
	योग	25	100.00

टेबल 4 में महिला पुलिस कर्मियों पर कार्य के दौरान पडने वाले दबावों का वर्णन किया गया है। महिलाओं पर सार्वधिक प्रभाव पुलिस अधिकारियों का पडता है। उसके पश्चात् पुरुष पुलिस कर्मियों का मानसिक दबाव महिला पुलिस कर्मियों पर पडता है। कभी - कभी विशेष परिस्थितियों में राजनेताओं का प्रभाव महिला पुलिस पर पडता है परन्तु कुछ का मानना है कि उन पर किसी का कोई प्रभाव दबाव नहीं



है। इन दबावों के कारण महिला पुलिस अपनी पूर्व नेतृत्व एवम् कार्य क्षमता में कठिनाई महसूस करती है।

• **महिला पुलिस कर्मियों की पारिवारिक कठिनाईयाँ:-**

महिला पुलिस द्वारा दोहरे कर्तव्य के निर्वाहन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को अपने निजी जीवन / में 5 जिसका वर्णन टेबल , चुनौतियों का सामना करना पड़ता है / पारिवारिक जीवन में अनेक कठिनाईयाँ दिया गया है।

क्रम संख्या	पारिवारिक चुनौतियाँ	महिला पुलिस कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
1.	गृहणी की भूमिका पूर्ण रूप से न निभा पाना	10	10.00%
2.	सुखमय दामपत्य जीवन का अभाव	4	40%
3.	बच्चों की उचित देखभाल न कर पाना	6	60%
4.	पारिवारिक कलह की स्थिति	3	30%
	योग	23	100%

महिला पुलिस कर्मियों को सबसे अधिक कठिनाई निजी जीवन में गृहणी की भूमिका पूर्ण रूप से नहीं निभा पाने के रूप में पाई गई है। दर्शाया गया है। बच्चों की भी पूर्ण रूप से देखभाल 5 जो टेबल , करन में असहाय महसूस होती है क्योंकि उचित समय का अभाव मुख्य कारण है। उचित समय के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी कम निभाई जाती हैं जो अन्तः पारिवारिक कलह का कारण , बनती हैं। इस प्रकार महिलाओं के लिये दोहरी जिम्मेदारी निभाना कठिन हो जाता है।

• **निष्कर्ष:-**



महिलाओं ने उन चार दिवारी को पार कर उस पेशे में अपनी पहचान बनानी प्रारम्भ की जहाँ कभी उनका प्रवेश वर्जित था और वो है पुलिस विभाग। पुरुष मानसिकता सामाजिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव के बावजूद महिलाएँ पुलिस में कार्य कर रही हैं। संख्या पुरुषों की तुलना में कम है परन्तु उनका प्रारम्भ से वर्तनाम तक का सफर सकारात्मक रह है। अनेकों कठिनाईयों के बावजूद जैसे पारिवारिक कठिनाईयाँ सामाजिक परम्पराओं की सीमाएँ , शारीरिक रूप से कम आँका जाना , शक्तियों का दबाव , कंधा - से - आदि स्वयं को बिना रोके पुरुषों के साथ कंधों

मिलाकर चल रही हैं परन्तु इन सभी कठिनाईयों और संघर्षों के बावजूद तुलनात्मक रूप से महिला पुलिस कर्मियों के परिस्थितियों में बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन नहीं है यह संघर्ष अभी जारी है। ,

• सुझाव:-

महिला पुलिस द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की जानकारी के बावजूद सरकार द्वारा उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। केवल महिलाओं को आरक्षण देना ही एक उचित निर्णय नहीं है बल्कि समग्र परिस्थितियों, भूमिका और चुनौतियों को देखते हुये कुछ विशेष परिवर्तन भी किये जाने चाहिये। महिलाओं की भर्ती एवम् पदोन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अलावा कुछ सुझाव नीचे भी दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैं।

1. प्रशासनिक एवम् कार्यस्थल पर महिला पुलिस को अधिकांशतः डेस्क जॉब ही दिये जाते हैं। इसका कारण है महिलाओं को मैदानी जॉब के लिये उचित नहीं समझना महिलाओं को शारीरिक एवम् , जिस कारण मैदानी क्षेत्र में होने वाली हिंसक गतिविधियों से , मानसिक रूप से कमजोर समझना निपटनेके लिये उनको असमर्थ माना जाता है। इन बेडियों और मानसिकता को तोड़कर महिलाओं को भी अपना कौशल और नेतृत्व दिखाने के अधिक अवसर दिये जाने चाहिये। मैदानी क्षेत्रों में भी नियुक्तियाँ की जानी चाहिये।
2. कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडन और बलात्कार सम्बंधी मामलों को नजर अंदाज या टाला नहीं जाना चाहिये बल्कि उन मामलों का सख्ती से निपटारा किया जाना चाहिये। एक ऐसे सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना चाहिये जहाँ महिला पुलिस निर्भय मन से अपने वरिष्ठ एवम् , सहकर्मियों के खिलाफ आवाज़ उठा सके।



3. महिला पुलिस कर्मियों के लिये अपने निजी जीवन एवम् पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिये कुछ परिवार अनुकूल नीतियाँ सवेतन विवाह , विशेष आवासीय सुविधाएँ कार्यस्थल पर सैनिटरी उत्पाद भी एक अच्छी ,चिकित्सा बीमा ,अवकाश पहल है।
4. पुरुष प्रधान पुलिस संगठन एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है क्योंकि यह पुरुष वर्चस्व को ही प्राथमिकता देता है। इस रूढ़िवादी सोच और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिये।
5. नीतियों में कुछ विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम चलाये जाने चाहिये जिससे कि महिलाओं में महिला पुलिस भर्ती को लेकर रुचि बढ़े।

संदर्भ सूची:-

- ओमराज सिंह बिश्नोई 27 पृष्ठ ,शहरी परिप्रेक्ष्य में महिला पुलिस की भूमिका ,
- आशा रानी व्होरा “औरत कल ,आज और कल - ”पृष्ठ 81 - 84
- एम०पी० जैन 452 पृष्ठ ,आउटलाइन ऑफ इण्डियन लिगल हिस्ट्री ,
- केग रिपोर्ट नम्बर) 152020स्पेशल सेल (
- डॉ० अमित सौरिकवाल महिला पुलिस 62 पृष्ठ ,
- परिपूर्णानन्द वर्मा 16 पृष्ठ ,भारतीय पुलिस ,- 22
- बी०पी०आर०डी० डेटा ऑन पुलिस ऑर्गनाइजेशन 2023, पृष्ठ 242
- शूटज डोनाल्ड ओ 110 पृष्ठ ,मार्डन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ,

शोध ग्रथावली:-

- भारत में महिला सशक्तीकरण खरे। डॉ -
- महिला पुलिस (अधिकार एवं कर्तव्य)- डॉ० अमित सौरिकवाल
- हम भी तो है (पुलिस सेवा में महिलाएँ)- ज्योति ठाकुर



- वुमेन पुलिस इन इण्डिया (जॉब चलेन्जिस एवं कॉपिंग स्ट्रेटिजी)- रमेश चंद्र नायकरविन्द्र के ,
मांमन्टे।

वेब लिंक्स:-

- <https://www.livehindustan.com>
- Cag.gov.in
- www.newindianexpress.com
- <https://bprd.nic.in>
- <https://police.py.gov.in>
- <https://www.mha.gov.in>
- <https://research.gate.net>